प्रेस नोट
दिनांक 10.04.2026

थाना वजीरगंज पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही से स्कॉर्पियो वाहनों से बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 अदद चोरी की बकरी, घटना में प्रयुक्त 02 अदद स्कार्पियों गाडी व 23,800/– रूपये नकद बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा स्कॉर्पियो वाहनों से बकरी चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर अभियुक्तों–01. रफीक पुत्र तौफीक, 02. शकील पुत्र अब्दुल खालिक, 03. शमसुद्दीन पुत्र भगोले, 04. रहीश पुत्र रशीद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 06 अदद चोरी की बकरी, घटना में प्रयुक्त 02 अदद स्कार्पियों गाडी व 23800/– रूपये नकद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

जनपद गोण्डा में विगत कुछ दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटनाएं प्रकाश में आयी थीं, उक्त घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटनाओं के शीघ्र एवं सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में बकरी चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की गई तथा खुफिया सूचनाओं का प्रभावी संकलन किया गया। पुलिस टीमों की सक्रिय कार्यवाही के फलस्वरूप बकरी चोरी करने वाले एक अंतर्जनपदीय संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर अभियुक्तों– 01. रफीक पुत्र तौफीक, 02. शकील पुत्र अब्दुल खालिक, 03. शमसुद्दीन पुत्र भगोले, 04. रहीश पुत्र रशीद को दुर्जनपुर घाट से कोडर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 06 अदद चोरी की बकरियां, घटना में प्रयुक्त 02 अदद स्कॉर्पियो वाहन तथा ₹23,800/– नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, जो जनपद गोण्डा एवं उसके आस–पास के जनपदों में रात्रि के समय घरों के बाहर बंधी बकरियों की रेकी कर सुनियोजित ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्तगण चोरी की गयी बकरियों को बाराबंकी व बहराइच जनपद की पशु मण्डियों में बेच देते थे अथवा उन्हें काटकर मांस के रूप में बेचकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 30.03.2026 को ग्राम गेड़सर से 06 बकरियाँ चोरी कर छिपाकर रखी गयी थीं, जिन्हें बेचने के उद्देश्य से ले जाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में दिनांक 08.04.2026 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के सलारपुरवा मौजा पतीसा से 10 बकरियाँ चोरी कर लगभग ₹50,000/– में बाराबंकी की मण्डी में बेच दी गयी थीं तथा दिनांक 07.04.2026 को थाना तरबगंज क्षेत्र के ग्राम छोटका सेमरा से 09 बकरियाँ चोरी कर उन्हें काटकर मांस के रूप में लगभग ₹48,000/– में बिक्री किया जाना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी गहन पूछताछ की जा रही है,

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रफीक पुत्र तौफीक, निवासी ककरही, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच।
02. शकील पुत्र अब्दुल खालिक, निवासी कचहरी स्टेशन रोड, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

03. शमसुद्दीन पुत्र भगोले, निवासी मंगलपुरवा, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।
04. रहीश पुत्र रशीद, निवासी फोरबिसगंज, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 118/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–192/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–116/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 06 अदद चोरी की बकरी।
02. 23,800 रू0 नकद (चोरी की बकरी बेचने से प्राप्त रूपये)
03. 02 अदद घटना में प्रयुक्त स्कार्पियों गाड़ी

<u>अभियुक्त शमसुद्दीन पुत्र भगोले का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–92/04, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–127/06, धारा 380,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–140/07, धारा 51 वन्य जीव अधिनियम थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–51/11, धारा 379,327 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0–149/11, धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा अधि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0–05/12, धारा 110जी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0सं0–53/14, धारा 110जी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–42/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
09. मु0अ0सं0 122/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज गोण्डा

<u>अभियुक्त रफीक पुत्र तौफीक का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–129/24, धारा 380,457 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–520/24, 303(2),317(2),341(2) बीएनएस थाना पयागपुर जनपद बहराइच।
03. मु0अ0सं0 056/24 धारा 379/411 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती
04. मु0अ0सं0 129/24 धारा 357/480 भादवि थाना वजीरगंज गोण्डा
05. मु0अ0सं0–509/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 दहात जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0 122/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज गोण्डा

<u>अभियुक्त शकील पुत्र अब्दुल का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0 122/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज गोण्डा

<u>अभियुक्त रहीश पुत्र रशीद का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0 122/26 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना वजीरगंज गोण्डा

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. श्री गौरव सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस।
02. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह।
03. उ0नि0 राजदेव यादव।
04. हे0का0 अमित पाठक सर्विलांस सेल।
05. हे0का0 रवि यादव सर्विलांस सेल।
06. हेड का0 रणधीर सिंह एस0ओ0जी0
07. हे0का0 अरूण यादव
08. हे0का0 बिरजू कुमार।
09. हे0का0 श्याम नरायण।
10.. हे0का0 राकेश सिंह।
11. हे0का0 श्याम नारायण।
12. का0 अनुराग पटेल।
13. हे0का0 विनोद सोनी।
14. हे0का0 रोबिन सिंह।
15. हे0का0 राजकरन यादव।
16. का0 सुशील सिंह।
17. का0 नागेन्द्र यादव।
18. का0 रजत सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>